न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी नागौर
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 179 / 18

वादी
1—पुखराज पुत्र जीवणराम जाति बावरी
निवासी लाम्पोलाई तहसील रियांबड़ी

बनाम

प्रतिवादीगणः—
1—कालुराम पुत्र किशनाराम जाति बावरी
2—पप्पूराम पुत्र किशनाराम जाति बावरी
3—हड़मान पुत्र माधुराम जाति बावरी
4—रामेश्वर पुत्र हरजीराम जाति बावरी
5—गौरादेवी पत्नि हरजीराम जाति बावरी
6—चन्द्राराम पुत्र देवाराम जाति बावरी
7—देवाराम पुत्र मोहनराम जाति बावरी
8—छोटुदेवी पत्नि जीवणराम जाति बावरी
9—चम्पाराम पुत्र खीयांराम जाति बावरी
10—रामनिवास पुत्र खींयाराम जाति बावरी
11—धर्माराम पुत्र गणपतराम जाति बावरी
12—कैलाशराम पुत्र गणपतराम जाति बावरी
13—सोहनीदेवी पत्नि गणपतराम जाति बावरी
सभी निवासीगण लाम्पोलाई तहसील रियांबड़ी
14—तहसीलदार रियांबड़ी
15—पटवारी हलका लाम्पोलाई

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व बंटवाड़ा अंतर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट 1955

निर्णय

दिनांक :— 12/6/18

वादी निम्नलिखित वाद पेश करता है :—

1—यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 13 एक ही परिवार के सदस्य है। हिन्दु है और हिन्दु मिताक्षरा कानून से गर्वन होते है। जिनका सिजरा खानदान सामिल मिसल है।
2—यह है कि ग्राम लाम्पोलाई की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 753 रकबा 0.37 हैक्टर,खसरा नंबर 754 रकबा 0.35 हैक्टर,खसरा नंबर 755 रकबा 0.01 हैक्टर,खसरा नंबर 756 रकबा 0.65 हैक्टर,खसरा नंबर 757 रकबा 0.58 हैक्टर, कुल रकबा 1.96 हैक्टर, वादी के परदादा स्व.मगनाराम जी के नाम से दर्ज है। जिनका स्वर्गवास हो चूका है। व वादी के दादा नारायणराम जी व पिता जीवणराम जी का भी स्वर्गवास हो चूका है। व मौजा लाम्पोलाई के खसरा नंबर 485 रकबा 0.58 हैक्टर,खसरा नंबर 492 रकबा 0.60 हैक्टर,खसरा नंबर 493 रकबा 2.40 हैक्टर,खसरा नंबर 717 रकबा 0.64 हैक्टर व खसरा नंबर 718 रकबा

ध्यक्ष
ोक अदालत

Scanned by CamScanner

0.62 हैक्टर कुल रकबा 4.84 हैक्टर वादी के दादा नारायणराम की सह खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक सह खातेदारी की आराजी है।

3– यह है कि पेरा नंबर 2 में वर्णित आराजी कोआगे वाद में मुतनाजा आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

4–यह है कि वादी व प्रतिवादीगण के बीच में मौके पर बंटवारा किया हुआ है। व अलग अलग धोरे व पालियां दी हुई है व इसी माफिक काश्त व काबिज चले आ रहे है। परंतु खातेदारी में नाम माफिक बंट के नही होने से वादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वाद यह बंटवारा व घोषणा का वाद पेश कर रहा है।

5–यह है कि मुतनाजा आराजी का बंटवारा पक्षकारान ने कर लिया है जो इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण ने जो बंटवारा किया जो निम्न है।

1–वादी पुखराज के बंट में–

मौजा लाम्पोलाई के खसरा नंबर 493 रकबा 2.40 हैक्टर में सें रकबा 1.20 हैक्टर उतरी तरफ का व खसरा नंबर 485 रकबा 0.58 हैक्टर पूरा बंट में रखा गया है।

2–प्रतिवादी चन्द्राराम के बंट में :–

मौजा लाम्पोलाई के खसरा नंबर 718 रकबा 0.62 हैक्टर,खसरा नंबर 755 रकबा 0.01 हैक्टर, व खसरा नंबर 756 रकबा 0.65 हैक्टर बंट में रखा गया है।

3–प्रतिवादी देवाराम के बंट में :–

मौजा लाम्पोलाई के खसरा नंबर 717 रकबा 0.64 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नंबर 757 रकबा 0.58 हैक्टर सम्पूर्ण बंट में रखा गया है।

4–प्रतिवादी रामेश्वर व गौरादेवी के बंट में :–

मौजा लाम्पोलाई के खसरा नंबर 753 रकबा 0.37 हैक्टर सम्पूर्ण बंट में रखा गया है।

5–प्रतिवादी धर्माराम,कैलाश,व सोहनीदेवी के बंट में :–

मौजा लाम्पोलाई के खसरा नंबर 754 रकबा 0.35 हैक्टर सम्पूर्ण बंट में रखा गया है।

6–प्रतिवादी रामनिवास के बंट में :–

मौजा लाम्पोलाई के खसरा नंबर 493 रकबा 2.40 हैक्टर में सें रकबा 1.20 हैक्टर,दक्षिणी तरफ का व खसरा नंबर 492 रकबा 0.60 हैक्टर सम्पूर्ण बंट में रखा गया है।

उपरोक्त बताये माफिक बंटवाड़ा कर अलग–अलग खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम की जावें।

6–यह है कि पक्षकारान बंटवारा के दिन से उपर बताये अनुसार अलग–अलग काश्त व काबिज है। तथा अलग अलग सीवें माठें कायम कर ली है। मगर वादग्रस्त खसरान की भूमि का बंटवारा अभी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नहीं हुआ है। जिससे वादी यह वाद बाबत खातेदारी घोषणा व बंटवारा का पेश कर रहे है।

7–यह है कि वादग्रस्त खसरान की भूमि की खातेदारी माफिक बंटवारा के दर्ज नहीं है इसलिए वादी को वादग्रस्त खसरान की भूमि का स्वतंत्र रूप से उपयोग व उपभोग करने में समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है। जिससे वादी वादग्रस्त खसरान की खातेदारी अलग से घोषित करवाने का अधिकारी है।

8–यह है कि इश्तदुआ वादीगण यह है कि दावा वादीगण की डिक्री बहक वादीगण विरूध प्रतिवादीगण के वादपत्र के पैरा संख्या 5 में बताये अनुसार फरमायी जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन जबाबदेही हेतू तलब किया गया।

वादी मय अधिवक्ता व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 व 6 से 13 मय अधिवक्ता के राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर लाम्पोलाई में उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा पक्षकारान को पढकर सुनाया गया । सुन समझ सही होना स्वीकार किया गया। बाद पहचान के राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का राजीनामा उपस्थित नहीं होने से नहीं हो सका अगले दिन राजीनामा पेश करने हेतू निवेदन किया गया।

दिनांक 8.6.2018 को कोर्ट कैम्प में उपस्थित होकर वादी व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 मय अधिवक्ता के अपना राजीनामा पेश किया गया। जो बाद तस्दीक के सामिल मिसल किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प में पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित । बहस वकुलाय सुनी गई। वकील पक्षकारान ने बताया कि वादी व प्रतिवादीगण सभी स्व.मगनाराम जी के वारिसान है। सिजरा खानदान वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित है। वादग्रस्त आराजी विरासत से प्राप्त हुई है। जो पैतृक है। आपसी सहमति से सहूलियत से बंटवारा करवाना चाहते है वैसे तो मौके पर अपने अपने हक हिस्से

Scanned by CamScanner

पर काश्त काबिज चले आर रहे है। मगर राजस्व रेकार्ड में विधिवत दर्ज नही है।जिससे सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त करने में परेशानी उठानी पड़ती है। अतः पक्षकारान के बीच विधिवत बंटवारा कर दिया जावें जो पैरा संख्या 5 मे अंकित है। सभी पक्षकार सहमत है।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड जमाबंदीयो का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी वादी के परदादा के नाम से दर्ज चली आ रही है। तथा कुछ आराजी वादी के दादा व प्रतिवादीगण के दादा के नाम से चली आ रही है। सिजरा खानदान से प्रतीत होता है कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। जो स्व.मगना के उतराधिकारी है। वादग्रस्त विरासत से प्राप्त आराजी है जिसमें सभी का समान हक हिस्सा है। भूमि पैतृक है। पैतृक सम्पत्ति का बंटवारा किया जाना विधि सम्मत है।

अतः वादी का वाद जरिए सहमति के स्वीकार किया जाता है। तथा वादी व प्रतिवादी के बीच निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।

1–वादी पुखराज के बंट में:–

मौजा लाम्पोलाई के खसरा नंबर 493 रकबा 2.40 हैक्टर में सें रकबा 1.20 हैक्टर उतरी तरफ का व खसरा नंबर 485 रकबा 0.58 हैक्टर पूरा बंट में रखा गया है।

2–प्रतिवादी चन्द्राराम के बंट में :–

मौजा लाम्पोलाई के खसरा नंबर 718 रकबा 0.62 हैक्टर,खसरा नंबर 755 रकबा 0.01 हैक्टर, व खसरा नंबर 756 रकबा 0.65 हैक्टर बंट में रखा गया है।

3–प्रतिवादी देवाराम के बंट में :–

मौजा लाम्पोलाई के खसरा नंबर 717 रकबा 0.64 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नंबर 757 रकबा 0.58 हैक्टर सम्पूर्ण बंट में रखा गया है।

4–प्रतिवादी रामेश्वर व गौरादेवी के बंट में :–

मौजा लाम्पोलाई के खसरा नंबर 753 रकबा 0.37 हैक्टर सम्पूर्ण बंट में रखा गया है।

5–प्रतिवादी धर्माराम,कैलाश,व सोहनीदेवी के बंट में :–

मौजा लाम्पोलाई के खसरा नंबर 754 रकबा 0.35 हैक्टर सम्पूर्ण बंट में रखा गया है।

6–प्रतिवादी रामनिवास के बंट में :–

मौजा लाम्पोलाई के खसरा नंबर 493 रकबा 2.40 हैक्टर में सें रकबा 1.20 हैक्टर,दक्षिणी तरफ का व खसरा नंबर 492 रकबा 0.60 हैक्टर सम्पूर्ण बंट में रखा गया है।

तहसीलदार रियांबड़ी उक्तानुसार बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें । राजस्व नक्शे में तरमीम की जावें। इसी आशय का डिक्री पर्चा जारी हों। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

नोटः–उपरोक्त खसरान में सें अगर बैंक के रहन रखा गया हो तो रहन यथावत रहेगा।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी
राजस्व लोक अदालत कैम्प जसवंताबाद

निर्णय दिनांक १२.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प जसवंताबाद में सुनाया गया ।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी
राजस्व लोक अदालत
राजस्व लोक अदालत कैम्प जसवंताबाद

Scanned by CamScanner